22-3-21। पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी पक्षकारान प्रार्थना-पत्र स्वीकार। विपक्षीगण विस्तृत निर्णय पृथक से लिख कर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण हस्ब कायदा नम्बर होकर नकल जारी हो तथा बाद तकमील प्रविष्टि अभिलेख भण्डार हो।

उप खण्ड अधिकारी
बौंली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:26:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :– संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या :– 23 / 2020
दायर दिनाकं :– 04.09.2020
निर्णय दिनांक :– 22.03.2021

उनवान

घासी पुत्र श्री नारायण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बडी बैरावास तहसील दौसा जिला दौसा

(प्रार्थी)

बनाम

जस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

(अप्रार्थी)

नस्थिति :– श्री सत्य नारायण शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अ0 धारा 128 एल.आर.एक्ट

उक्त प्रकरण में संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि ग्राम बड़ी बैरावास स्थित कृर्षि भूमि के खाता संख्या 34 के खसरा नम्बर 18 रकबा 0.04 खसरा नम्बर 19 रकबा 0.56 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.60 है0 खाता नम्बर 32 के खसरा नम्बर 108 रकबा 0.24 है0 खसरा नम्बर रकबा 0.42 है0 तथा खसरा नम्बर 446 रकबा ... है0 कुल किता 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:26:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Scanned with CamScanner

कुल रकबा 1.91 है0 भूमि स्थित है, जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि में फसल पैदावार करते है। प्रार्थी अपनी फसल की सुरक्षा हेतु अपनी भूमि के चारो ओर मिट्टी की कच्ची डोली जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षार्थ जब भी लगाते है, तो पड़ौसी खातेदारान उसको तोड़ देते है व प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि की सीमा को लेकर आये दिन विवाद करते रहते है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि व उसकी फसल की सुरक्षा रहे व पड़ौसी खातेदार के मध्य किसी प्रकार का सीमा विवाद नही हो। विवाद खत्म करने के लिए प्रार्थी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि का न्यायालय के माध्यम से सीमा ज्ञान करवा कर पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी के द्वारा पूर्व में उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 14.07.2020 को हो चुका है, जिसकी मौका रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रार्थी की उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी करने में किसी प्रकार की कानूनी बाधा व अडचन नही है। प्रार्थी द्वारा अपनी उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी करने के आदेश अप्रार्थी तहसीलदार दौसा को दिये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी के द्वारा उक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थना–पत्र न्यायालय मे पेश करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार दौसा को जरिये सम्मन तलवी की गई।

नायब तहसीलदार दौसा के द्वारा पत्थरगढ़ी प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश किया हैं जिसमे अंकित किया गया है, कि प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने में राजस्थान सरकार को कोई आपत्ति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:26:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थी के अधिवक्ता को पत्थरगढ़ी प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड को अवलोकन किया गया। प्रार्थी का पत्थरगढ़ी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का पत्थरगढ़ी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार दौसा को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी की ग्राम बड़ी बैरावास में स्थित कृषि भूमि के खाता संख्या 34 के खसरा नम्बर 18 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 19 रकबा 0.56 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.60 है0 तथा खाता नम्बर 32 के खसरा नम्बर 108 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 29 रकबा 0.42 है0 तथा खसरा नम्बर 446 रकबा 1.25 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.91 है0 भूमि की पत्थरगढ़ी करने हेतु अनुभवी पटवारियों/गिरदावरों की टीम गठित की जाकर पत्थरगढ़ी की जावे तथा प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तकमिल प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:26:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner